



30प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा

# प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2024

सबके लिए आवास

के अन्तर्गत लखनऊ, सुल्तानपुर और मेरठ में जी+3 प्रकार के रिक्त दुर्बल आय वर्ग भवनों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

पंजीकरण अवधि : दि. 09.03.2024 से 23.04.2024 तक



जनपद : लखनऊ

जनपद : सुल्तानपुर

जनपद : मेरठ

अवध विहार योजना  
रेरा पंजीकरण संख्या:  
UPRERAPRJ15287 | UPRERAPRJ15315  
UPRERAPRJ15312 | UPRERAPRJ15294

**भवनों की संख्या - 216**

पंजीकरण हेतु सुविधा प्रदाता बैंक: AXIS BANK  
प्रगति केन्द्र, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ  
श्री राहुल निगम, 9554476691

लोहरामऊ, सुल्तानपुर  
रेरा पंजीकरण संख्या:  
UPRERAPRJ15327

**भवनों की संख्या - 22**

पंजीकरण हेतु सुविधा प्रदाता बैंक: HDFC Bank  
31/31 एम.जी. मार्ग, लखनऊ  
मोहम्मद शारिक, 9838006959

जागृति विहार (विस्तार) योजना, संख्या-11 मेरठ  
रेरा पंजीकरण संख्या:  
UPRERAPRJ15333, UPRERAPRJ292228  
UPRERAPRJ321319, UPRERAPRJ930149

**भवनों की संख्या - 132**

पंजीकरण हेतु सुविधा प्रदाता बैंक: HDFC Bank  
सूर्यांश प्लाजा गढ़ रोड, मेरठ  
श्री शंखर गुप्ता, 9911872100

पंजीकरण पुस्तिका रु. 100/- (GST सहित) भुगतान कर उपरोक्त बैंक शाखाओं से प्राप्त की जा सकेगी एवं आवेदन पत्र भरकर (पंजीकरण धनराशि के डिमांड ड्राफ्ट सहित) उपरोक्त बैंकों में ही जमा की जा सकती है।

## भवनों का विवरण

सुपर एरिया (वर्ग मीटर)	कार्पेट एरिया (वर्ग मीटर)	प्रति भवन की कुल लागत (रु0 लाख में)	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रु0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु0 में)	शेष धनराशि (रु0 में)	भवन में मासिक किशतों की संख्या एवं प्रति किशत की धनराशि	
						संख्या	धनराशि (रु0 में)
34.07	22.77	6.00	2.50	5,000	3,45,000	180	3190

नियम एवं शर्तें:- ● आवेदक की वार्षिक आय रु. 3 लाख तक होनी चाहिए। ● आर्क्टियों को निर्गत किये जा रहे आवंटन पत्रों में आवंटनोपरान्त जमा की जाने वाली प्रथम एकमुश्त धनराशि रु0 3.50 लाख की 10 प्रतिशत जमा कराई जाएगी। ● आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। ● रु0 5,000/- पंजीकरण धनराशि के उपरान्त शेष धनराशि सब्याज 15 वर्षों में अर्थात् 180 मासिक किशतों में भुगतान की सुविधा। ● आवेदन हेतु पात्रता एवं शर्तों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी परिषद द्वारा जारी पंजीकरण पुस्तिका में देखें। अधिक जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध है-पंजीकरण पुस्तिका में देखें। किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। ● रera संबंधी जानकारी के लिए www.up-rera.in का अवलोकन करें।



30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

website : <https://www.upavp.in>, E-mail.: [info@upavp.com](mailto:info@upavp.com)



संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें  
(टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803

[f](#) [x](#) [@](#) [UPHDBHQ](#)

16w x 16h = 256 sqcm